3/यो0-30/2017(खण्ड)

14

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -........8.6.18........

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत विभिन्न घटकों सहित कुल 6617.75 लाख (छियासठ करोड़ सतरह लाख पचहतर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित है। उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के विभिन्न घटकों सहित कुल 6617.75 लाख (छियासठ करोड़ सतरह लाख पचहतर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	मूल बजट उपबंध
1	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	51-2235021030110	5000.00
2	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना-विशेष घटक	51-2235027890108	1617.75
	कुल 6617.75 लाख (छियासठ करोड़ सतरह लाख पचहतर हजार) मात्र		**6617.75**

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0-14/टि0 पर दिनांक-07-06-18 को माननीया विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0-..8../टि0 पर दिनांक-09-05-18 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 6/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/ 14 पटना-15, दिनांक- 8.6.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 6/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/ 14 पटना-15, दिनांक- 8.6.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 6/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।